न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 68/2017
निर्णय दिनांक– 25.06.2019

उनवान

1.रामधन पुत्र श्योजी जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सन्तोष पत्नी रामधन जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
–वादीगण

बनाम

1.कल्याण पुत्र बिसना जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.मुकेश पुत्र कल्याण जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
3.संजय पुत्र कल्याण जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
4.मथुरा पत्नी कल्याण जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– 1. श्री बी0एल0 जैन वकील वादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह है कि वादीगण के गैर खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0न0 1244 रकबा 0.14, ख0न0 1245 रकबा 0.12, ख0न0 1246 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा मे स्थित है। जिस पर वादीगण का मालिकाना स्वामित्व व आधिपत्य चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का वादीगण की उक्त आराजी से दूर का भी वास्ता नही है। प्रतिवादीगण गिरोहबन्द एवं बदमाश किस्म के व्यक्ति है। जो जबरन लठ के जोर पर वादीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 9.6.17 को वादीगण अपनी उक्त आराजी पर बाढ ठीक कर रहे थे कि अचानक प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी मे प्रवेश कर गये तथा वादीगण के साथ लडाई झगडा रते हुये जबरन कब्जा करने की धमकी दी गई। पडोसी काश्तकारान के द्वारा समझाईश की गई व बीच बचाव किया। मौका पाकर उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की धमकी दिये जाने से यह वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह है कि वादीगण की अधियाचना है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 1244 रकबा 0.14, ख0न0 1245 रकबा 0.12, ख0न0 1246 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना काश्त मे बाधा डाले और ना ही कब्जा करने का प्रयास करे।

Scanned by CamScanner

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 9.8.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादीगण वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी ग्राम देवली सम्वत 2071–74 प्रदर्श 1, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2 नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाहान, पी.डब्लू. 1 रामधन , पी.डब्लू. 2 मुकेश कुमार व पी.डब्लू.3 मथुरालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

वादीगण के वकील की बहस सुनी गयी। वादीगण के वकील ने दोराने बहस कथन किया है कि भूमि ख0न0 1244 रकबा 0.14, ख0न0 1245 रकबा 0.12, ख0न0 1246 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा वादीगण के गैर खातेदारी, स्वामित्व व आधिपत्य की है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण गिरोहबन्द एवं बदमाश किस्म के व्यक्ति है। जो जबरन लठ के जोर पर वादीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की धमकी देते रहते है। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वो ग्राम देवली तहसील उनियारा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 1244 रकबा 0.14, ख0न0 1245 रकबा 0.12, ख0न0 1246 रकबा 0.18 है0 रामधन पुत्र श्योजीनाथ हिस्सा 1/2 व सन्तोष पत्नी रामधन हिस्सा 1/2 जाति नाथ सा0 देह की गेर खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादीगण के बावजूद तामीली सूचना न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होना वादीगण के वाद का परोक्ष समर्थना है। साक्ष्य वादीगण से भी वादीगण के वाद की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझता है। अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की गैर खातेदारी , स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी ख0न0 1244 रकबा 0.14, ख0न0 1245 रकबा 0.12, ख0न0 1246 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा मे किसी प्रकार से दखलंदाजी नही करे।पर्चा डिक्री जारी हो। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)
उनवान

1.रामधन पुत्र श्योजी जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सन्तोष पत्नी रामधन जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
—वादीगण

बनाम

1.कल्याण पुत्र बिसना जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.मुकेश पुत्र कल्याण जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
3.संजय पुत्र कल्याण जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
4.मथुरा पत्नी कल्याण जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित— 1. श्री बी0एल0 जैन वकील वादीगण

मुकदमा नम्बर :— 68 वर्ष 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सन्तोष कुमार मीना आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बी0एल0 जैन वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व .....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की गैर खातेदारी , स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी ख0न0 1244 रकबा 0.14, ख0न0 1245 रकबा 0.12, ख0न0 1246 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा मे किसी प्रकार से दखलंदाजी नही करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 06 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner